कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

मांग संख्या 81

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2015-2016 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2015-2016 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2016-2017 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	...	...	...	1500.00	43.46	1543.46	1000.00	37.59	1037.59	1666.90	103.65	1770.55
	पूंजी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*33.10*	*0.63*	*33.73*
	जोड़	**...**	**...**	**...**	**1500.00**	**43.46**	**1543.46**	**1000.00**	**37.59**	**1037.59**	**1700.00**	**104.28**	**1804.28**
ब.अ. 2016-2017													
1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	2251	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	33.45	33.45
2. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना													
2.01 राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण	2230	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	14.66	14.66
2.02 राष्ट्रीय कौशल विकास निधि निगम	2230	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1350.00	...	1350.00
2.03 राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन बोर्ड	2230	...	...	...	...	...	...	...	...	...	20.00	...	20.00
2.04 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थान	2230	...	...	...	...	...	...	...	...	...	50.00	...	50.00
2.05 शिक्षुता सर्व प्रशिक्षण	2230	...	...	...	...	...	...	...	...	...	196.90	55.54	252.44
	4250	...	...	...	...	...	...	...	...	...	33.10	0.63	33.73
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*230.00*	*56.17*	*286.17*
2.06 कौशल विकास और उद्यमशीलता	2230	...	...	...	...	...	...	...	...	...	50.00	...	50.00
जोड़- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*1700.00*	*70.83*	*1770.83*
सं.अ. 2015-2016													
3. सचिवालय सामाजिक सेवाएं	2251	...	...	...	...	23.46	23.46	...	21.14	21.14	...	...	...
4. कौशल विकास एवं उद्यमशीलता योजनाएं													
4.01 कौशल विकास योजना	2230	...	...	...	1350.00	...	1350.00	900.00	...	900.00	...	...	...
4.02 राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण	2070	...	...	...	...	20.00	20.00	...	16.45	16.45	...	...	...
जोड़- कौशल विकास एवं उद्यमशीलता योजनाएं		...	...	...	*1350.00*	*20.00*	*1370.00*	*900.00*	*16.45*	*916.45*	...	...	...
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं का प्रावधान	2552	...	...	...	150.00	...	150.00	100.00	...	100.00	...	...	...
कुल जोड़		...	...	...	*1500.00*	*43.46*	*1543.46*	*1000.00*	*37.59*	*1037.59*	*1700.00*	*104.28*	*1804.28*

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
1. श्रम एवं रोजगार	22230	...	...	...	1500.00	...	1500.00	1000.00	...	1000.00	1700.00	...	1700.00

1. **सचिवालय- सामाजिक सेवा:** प्रशिक्षण महानिदेशालय एवं मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय हेतु प्रावधान करता है।

2. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

2.1 राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण सामाजिक, क्षेत्रीय, लैंगिक एवं आर्थिक अंतराल को पाटने के प्रयास एवं कौशलयुक्त बनाने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार एवं निजी क्षेत्र के कौशल विकास प्रयासों में समन्वय लाएगा तथा इन्हें सुसंगत बनाएगा।

2.2 राष्ट्रीय कौशल विकास निधि/निगम या तो ऋण या इक्विटी द्वारा कौशल विकास वित्तपोषण प्रदान करता है तथा कर छूट इत्यादि के जरिए वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार करने हेतु निजी क्षेत्र पहलों के चयन के लिए वित्तीय पहलों का समर्थन करता है।

2.3 राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन बोर्ड देश में कौशल विकास पाठ्यक्रमों हेतु राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे के अनुपालन में परीक्षाओं, मूल्यांकनों का आयोजन करने एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमाणपत्र देने हेतु एक स्वायत्त व्यावसायिक बोर्ड होगा।

2.4 - युवाओं को तकनीकी कौशल प्रदान करने पर बल देते हुए सेवारहित ब्लॉकों और क्षेत्रों में कौशल विकास योजना के अंतर्गत उद्योगों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से 1500 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे।

2.5 – शिक्षुता एवं प्रशिक्षण: लाभप्रद रोजगार के लिए पूरे देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करना, संचालित करना और प्रदान करना, प्रशिक्षण अवसंरचना का उन्नयन करना, नए प्रशिक्षण संस्थान खोलना, कौशल विकास और उद्योगों को संबद्ध करने के लिए राज्य सरकारों को सहयोग प्रदान करना।

2.6 – कौशल विकास और उद्यमशीलता के परिणामस्वरूप परामर्शदाता नेटवर्क, ऋण, इनक्यूबेटर एवं उत्प्रेरक, सूचना मंच, अनुसंधान इत्यादि सहित उद्यमशीलता शिक्षा और प्रशिक्षण, समर्थन, उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न संघटकों तक आसान पहुंच के माध्यम से उद्यमशीलता विकास के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन होगा।